



बिहार सरकार

समाहरणालय, अरवल



ई-मेल-dm-arwal.bih@nic.in

वेबसाइट - arwal.bih.nic.in

दूरभाष/फैक्स - 06337-228988

पत्रांक- 147 / स 0

(जिला राजस्व शाखा)

दिनांक - 08/03/2017

-: सैरात बन्दोवस्ती से संबंधित आम सूचना :-

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अरवल जिलान्तर्गत निम्नांकित सैरातों की बन्दोवस्ती वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए दिनांक 18.03.2017 को 11.30 बजे पूर्वाह्न में कंडिका 05 में अंकित पदाधिकारियों के कार्यालय प्रकोष्ठ में होगी। उक्त तिथि को बन्दोवस्ती नहीं होने की स्थिति में पुनः क्रमशः 20.03.2017 एवं 24.03.2017 को 11.30 बजे पूर्वाह्न में उपरोक्त निर्धारित स्थल पर होगी।

क्र०	अंचल का नाम	सैरातों के नाम	सुरक्षित जमा राशि (रूपये में)	आम डाक हेतु निर्धारित स्थल
1	2	3	4	5
1	करपी	करपी हाट/बाजार	1,59,692/-	अपर समाहर्ता, अरवल के कार्यालय प्रकोष्ठ में।
2	कलेर	वलीदाद हाट/बाजार	70,359/-	
3	कुर्था	पी0डब्लू0डी0 रोड, कुर्था हाट/बाजार	1,07,525/-	
4	अरवल	परासी हाट/बाजार	60,075/-	
5	अरवल	प्रसादी इंग्लिश हाट/बाजार	39,159/-	अनुमंडल पदाधिकारी, अरवल के कार्यालय प्रकोष्ठ में।

- (1) बन्दोवस्ती लेने वाले इच्छुक व्यक्ति निश्चित स्थान एवं समय पर उपस्थित होकर डाक में भाग ले सकते हैं।
- (2) आम डाक में भाग लेने वाले व्यक्ति को संबंधित थाना/अंचल से आचरण प्रमाण-पत्र लेकर प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उन्हें आम डाक में भाग लेने से वंचित कर दिया जायेगा।
- (3) आम डाक में भाग लेने वाले व्यक्ति को सुरक्षित जमा राशि का 10: राशि आम डाक लेने से पूर्व जमा करना होगा। आम डाक की कार्रवाई समाप्त होने के बाद सफल डाकवक्ता को बोली की राशि अविलम्ब जमा करना होगा।
- (4) आम डाक की कार्रवाई पूरी होने के बाद उच्चतम् डाकवक्ता की बोली की राशि अविलम्ब जमा करना होगा।
- (5) सफल डाकवक्ता को बन्दोवस्ती का एकरारनामा अपने खर्च पर निबंधित करना होगा।
- (6) आम डाक की कार्रवाई के संबंध में किसी भी प्रकार का निर्णय लेने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
- (7) जिनके साथ हाट/सैरात की बन्दोवस्ती की गई उन्हें स्वयं सफाई, रोशनी, पानी की व्यवस्था अपने खर्च से करनी होगी तथा हाट/बाजार के अन्तर्गत सरकार या विघटित बाजार समिति के जरिए बनाए गए रोड, चबुतरा/गोदाम भवन/बोर्ड इत्यादि को देख-रेख की जिम्मेवारी संबंधित ठीकेदार की होगी।
- (8) खुली डाक (प्रतिस्पर्द्धा) के समय डाक को स्थगित या रद्द करने की अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
- (9) समय-समय पर दिए गए आदेश/निदेश का पालन करना अभिकर्ता के लिए बाध्यकारी होगा।
- (10) प्रथम उच्चतम् डाक द्वारा स्वीकृत उच्चतम् डाकवक्ता के राशि जमा करने में विफल रहने की स्थिति में उनकी जमा प्रतिभूति राशि जब्त कर द्वितीय स्वीकृत उच्चतम् डाकवक्ता के साथ सैरात बन्दोवस्त की जायेगी। यदि द्वितीय डाकवक्ता भी अपनी बोली गई राशि पर सैरात नहीं लेते हैं तो उनकी भी जमा राशि जब्त कर तृतीय स्वीकृत डाकवक्ता को सैरात बन्दोवस्त की जायेगी। यदि अन्य और भी डाकवक्ता रहेंगे तो क्रमानुसार राशि जमाबंदी तथा प्रतिभूति राशि के जब्तीकरण की यही प्रक्रिया लागू रहेगी।

आओ बहना, भैया आओ

नशा मुक्त, बिहार बनाओ




E:\कन्हैया\2017\मार्च\Sairat\Sairat Advt.docx

समाहर्ता,
अरवल।

P.T.0

ज्ञापांक 147 / राजस्व, अरवल, दिनांक 08/03/2017

- प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, अरवल को जिले के बेवसाईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि : अनुमंडल पदाधिकारी, अरवल एवं भूमि सुधार उप समाहर्ता, अरवल को कार्यालय सूचना पट्ट पर प्रकाशनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, अरवल, कलेर, करपी एवं कुर्था को सूचनार्थ एवं अंचल कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित। साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने स्तर से वृहद प्रचार-प्रसार करना सुनिश्चित करेंगे।
- प्रतिलिपि : कार्यालय सूचना पट्ट (समाहरणालय, अरवल) पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।


समाहर्ता,
अरवल।